विदेशी मुद्रा गतिविधियां

मार्च 2009

(i) मुद्रा परिवर्तक गतिविधियों को नियंत्रित करनेवाला अनुदेश ज्ञापन

मुद्रा परिवर्तक गतिविधियों में वृद्धि तथा मुद्रा परिवर्तक गतिविधियों के संबंध में धनशोधन निवारण विषयक मार्गदर्शी सिद्धांतों सहित जारी किए गए अनेक अनुदेशों के परिप्रेक्ष्य में मुद्रा परिवर्तक गतिविधियों को नियंत्रित करनेवाले एएमसी को जारी किए गए अनुदेशों की समीक्षा की गई।

(ए.पी.(डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं.57
दिनांक 9 मार्च 2009)

(ii) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की पुनर्खरीद/समय पूर्व अदायगी

एफसीसीबी की पुनर्खरीद के लिए समस्त क्रियाविधि पूरी करने की तारीख 31 मार्च 2009 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2009 कर दी गई है।

(ए.पी.(डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं.58
दिनांक 13 मार्च 2009)

(iii) भारत सरकार और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच आस्थगित भुगतान व्यवस्था (प्रोटोकोल) दिनांक 31 अप्रैल 1981 और 23 दिसंबर 1985

विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 2 मार्च 2009 से संशोधित किया गया और उसे 5 मार्च 2009 से 67.2425 रु पए निर्धारित किया गया।

(ए.पी.(डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं.59
दिनांक 24 मार्च 2009)

(iv) जीआर फार्मों की ऑनलाइन डाउनलोडिंग

वर्तमान में जीआर फार्म [निर्यात के लिए 2 प्रतियों में भरे जाने होते हैं। अन्यथा डाक से भेजने सहित जिसमें

भौतिक रू प से सॉफ्टवेयर अर्थात मैग्नेटिक टेप/डिस्क और पेपर मीडिया का निर्यात शामिल है] रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से निर्यातकों को एक रुपए में मिलते हैं। प्रक्रिया को सरल बनाने के एक अंग के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि जीआर फार्म रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए। तदनुसार, निर्यातकों के पास यह विकल्प रहेगा कि वे चाहें तो ऑनलाइन उपलब्ध जीआर फार्मों का उपयोग कर सकेंगे। जीआर फार्म डाउनलोड करते समय निर्यातक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह ञ्लीगलट आकार के पेपर अर्थात 8.5" x 14" के पेपर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा,प्रिंटिंग करने के पहले पेज सेट अप ऑप्शन में प्रिंटर (प्रिंटर प्रेफरेंस में) और पेपर साइज दोनों ही जगह लीगल साइज़ का चुनाव करें। जब यह दस्तावेज प्रिंट क्यू में जाएगा तो उसे अपने आप ही जीआर नं. आबंटित हो जाएगा।

निर्यातकों को पहले की भांति ही रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से जीआर फार्म खरीदने की सुविधा सतत मिलती रहेगी। तथापि, यह सुविधा एक वर्ष के भीतर चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दी जाएगी।

(ए.पी.(डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं.60 दिनांक 26 मार्च 2009)